दिया था कि भारत इनोवेट करता है-"India innovates", जो इनोवेटर्स हैं खास तौर पर जो हमारे पुराने स्किल्ड लोग हैं, कारीगर हैं उनको इसके ऊपर लाना है। तो हमें उनके पास जाना है न कि उन्हें दफतर में लाना है।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Still, I would request the Minister, Sir, to consider the proposal for establishment of a full-fledged regional office at Guwahati.

Secondly, in the entire North-Eastern Region, there is no national institute for science and technology. There was a proposal for taking over the Institute of Advanced Studies at Guwahati by the Government of India and converting it into a national institute. In the Ninth Five Year Plan, the support was given initially. I want a specific assurance ..(*Interruptions*)...

श्री सभापति: बताइए साहब, समझ गए मंत्री जी आपका क्वेश्चन।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: उत्तर पूर्वांचल में नेरिस्ट यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो तकनीकी विकास का सारा काम देखती है। अभी हमने उसको अपग्रेड किया है। दूसरी बात यह है कि कोई नया केन्द्र जिसकी उन्होंने याचना की है वह हम खोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह इस फाउंडेशन के क्रियाकलाप के अन्तर्गत नहीं है।

*67. *[The Questioner (Shri Janardhana Poojary) was absent. For answer vide pages* 45-46 *infra*].

*68. *[The Questioner (Dr. Vijay Mallya) was absent. For answer vide pages* 46-47 *infra*].

*69. [*The Questioners (Shri Ghulam Nabi Azad and Dr. T. Subbarami Reddy) was absent. For answer vide pages* 47-48 *infra*]..

राज्यों में मत्स्य पालन उद्योग का विकास और विस्तार

*70. **लाला लाजपत राय:†**

श्री कपिल सिब्बल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में मत्स्य पालन उद्योग के विकास और विस्तार के लिए राज्य सरकार को अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

---

†सभा में यह प्रश्न लाला लाजपत राय द्वारा पूछा गया।

(ग) क्या सरकार इस योजना को देश के अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार हरियाणा सहित सभी राज्यों में मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के जरिए ताजा जल जलकृषि का विकास संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। विकासात्मक क्रियाकलापों जैसे—नए तालाबों का निर्माण, तालाबों और टैंकों का नवीनीकरण, प्रथम वर्ष आदानें (मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, उर्वरक खाद आदि) बहते जल में मछली पालन, समेकित मछली पालन, मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण आदि संबंधी व्यय भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 72:25 के आधार पर वहन किया जाता है। नौवीं योजना अवधि (1997-2002) के दौरान उक्त योजना के तहत हरियाणा सरकार को 145.00 लाख रुपए की राशि केन्द्रीय हिस्से के रूप में प्रदान की गई थी। राज्य को चालू वर्ष 2002-2003 के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में 27.12 लाख रुपए की राशि भी जारी की गई है।

(ग) ताजा जल जलकृषि का विकास संबंधी योजना एक निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है जिसे देश के सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Development and expansion of Fisheries in States

†*70. SHRI LAJPAT RAI:††
SHRI KAPIL SIBAL:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Haryana Government has been given grant for development and expansion of fisheries in that State;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government would implement this scheme in other States also; and

†Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lajpat Rai.

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The Government of India is implementing a Centrally Sponsored Scheme on Development of Freshwater Aquaculture through Fish Farmers Development Agencies in all the States including Haryana. The expenditure on developmental activities such as, construction of new ponds, renovation of ponds and tanks, first year inputs (fish seed, fish feed, fertilizers, manures etc.) running water fish culture, integrated fish farming, fish seed hatcheries, fish feed units, establishment of laboratories, training of fish farmers etc. is shared on 75:25 basis between the Government of India and the State Governments. During the Ninth Plan period (1997-2002), the State Government of Haryana was provided Rs. 145.00 lakh as central share under the above scheme. A sum of Rs. 27.12 lakh has also been released to the State as central share during the current year 2002-03.

(c) The scheme on Development of Freshwater Aquaculture is an ongoing programme being implemented by all the States in the country.

(d) Question does not arise.

लाला लाजपत राय: मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो योजना है बहुत अच्छी योजना है, इससे कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके साथ-साथ बारिश के पानी को इकट्ठा करने से वाटर लेविल भी अच्छा होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी सारे हिन्दुस्तान में इस स्कीम को लागू किया जा रहा है तो पंजाब में इस स्कीम की क्या स्थिति है तथा कितने यूनिट बन चुके हैं और उनके लिए कितना पैसा स्वीकृत किया गया और कितना पैसा रिलीज किया गया?

श्री सभापति: बताइए साहब।

श्री अजित सिंह: यह फिशरीज का सवाल है जो पंजाब के लिए पूछ रहे हैं। पंजाब के बारे में 1997-98 से हमारे पास फिगर्स हैं। 1997-98 में 50 लाख रुपए दिए थे, 1998-99 में 34 लाख और उसके बाद 50 लाख रुपए 2000-2001 में दिए गए।

लाला लाजपत राय: मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस स्कीम को आगे चलाने में नाबार्ड भी हिस्सा ले रही है और अगर हिस्सा ले रही है तो इस स्कीम में पंजाब के लिए कितना पैसा दिया जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा?

श्री अजित सिंह: अब लोन्स की बात जो आप पूछ रहे हैं उसके फिगर्स तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जहां केन्द्रीय स्कीम है इसमें ज्यादातर जो लोन की स्कीम होता है उसमें नाबार्ड हिस्सा लेती है।

Ban on plastic carry bags

*71. DR. ABRAR AHMED:†
SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state what steps Government have taken to ban the manufacture, distribution and sale of plastic carry bags?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Government has taken a number of steps to regulate the manufacture, sale and use of plastic carry bags. These include:

(i) The Recycled Plastics Manufacture and Usage Rules, 1999, has been notified on 2nd September, 1999 under the Environment (Protection) Act, 1986. These rules prohibit the use of recycled plactic bags for storing, carrying, dispensing, or packaging of foodstuffs. The rules also specify that the minimum thickness of carry bags made of virgin plastics or recycled plastics shall not be less than 20 microns.

(ii) A Committee was set up under the Chairmanship of the Former Chief Justice of India, Justice Ranganath Misra to look into the problems relating to plastic waste disposal. In pursuance of the recommendations of the Committee, a draft amendment to the Recycled Plastics Manufacture and Usage Rules 1999 has been notified on 1st July 2002. As per the draft rules, no person shall manufacture, distribute or sell carry bags made of virgin or recycled plastics below 8 x 12 inches in size. The draft amendments

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Abrar Ahmed.